संख्या- 113 / 2018/ 2060 /चार-2018-50(वि)/2016

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ :: दिनांक 20 सितम्बर, 2018

विषय:- वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों की भाँति संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी , कथक केन्द्र तथा भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के कर्मियों की भाँति अयोध्या शोध संस्थान , अयोध्या फैजाबाद के कार्मिकों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय अयोध्या शोध संस्थान , अयोध्या फैजाबाद के समस्त श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान की व्यवस्था लागू किये बिना सीधे ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय कर्मियों के सादृश्य पर दिनांक 01-12-2008 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ समानता के आधार पर उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी , कथक केन्द्र के कर्मियों हेतु जारी तिथि दिनांक 10 सितम्बर, 2015 से लागू (जिस दिन से उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी में ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू की गयी है) किये जाने हेतु निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) ए0सी0पी0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती पर अथवा एक से अधिक पदोन्नति प्राप्त पर दिनांक 01-12-2008 को पद के साधारण वेतनमान में है, तो ए0सी0पी0 के अन्तर्गत नियमित की तिथि से 10 वर्ष, 16 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर, तीन वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेगें:-

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु

किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। इसी प्रकार द्वतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा परन्तु जिन्हें प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन 10 वर्ष से अधिक की सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य हुआ है, उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन उक्त पद पर कुल 16 वर्ष की सेवा पर देय होगा, भले ही दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के बाद सम्बन्धित कार्मिक की सेवायें 06 वर्ष पूर्ण न हुई हो अथवा समान ग्रेड वेतन में पदोन्नत हो चुका हो ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परन्तु

परन्तु यदि उक्त पदधारक की प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के पूर्व दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात होती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय होगी , किन्तु यदि उसकी प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के पश्चात होती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन , प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के दिनांक से 06 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पर देय होगा । सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो ,से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(2) ऐसे पदधारक जो पद के साधारण वेतनमान में है और उनकी संतोषजनक सेवायें दिनांक 01-12-2008 को 16 वर्ष पूर्ण हो रही हैं, उन्हें दिनांक 01-12-2008 को सीधे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन यह मानते हुए कि उन्हें प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से मिल चुका होगा तथा ऐसे पदधारक जिनकी सेवायें 26 वर्ष पूर्ण हो रही हैं,उन्हें यह मानते हुए कि उन्हें प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से मिल चुका है, दिनांक 01-12-2008 को सीधे तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। काल्पनिक अनुमन्यता में वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा और उपरोक्तानुसार लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ शासनादेश निर्गत होने की तिथि से देय होगा।

(3) उपर्युक्तानुसार देय तीन वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होगें।

(4) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा, अर्थात् अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(5) ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात् संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए0सी0पी0 की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्मिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा।

(6) प्रदेश की अन्य सामान्य प्रास्थिति की स्वशासी संस्थाओं में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु अयोध्या शोध संस्थान , अयोध्या फैजाबाद के पद पर परिवीक्षा अवधि **(Probation period)** संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं संबंधित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा ।

(7) ए0सी0पी0 व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/बाहय सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवधि को सम्मिलित किया जायेगा परन्तु रोजगार अवकाश की अवधि को गणना में नहीं लिया जायेगा ।

(8) प्रदेश के राजकीय विभागों/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों एवं इस संस्था से भिन्न प्रास्थिति की स्वशासी संस्थाओं में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

2- निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-58(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक-2अ पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-6 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में संबंधित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलो में संबंधित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

3- वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर संबंधित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा-नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ संबंधित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगें।

4- यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में समान्य प्रोन्नति की व्यवस्था में शासित होती है। अत: ऐसे मामले उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली,1999 के सुसंगत प्रावधानों एवं तत्क्रम में जारी निर्देशों से विनियमित होंगें।

5- इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतया वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई संबंध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की माँग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

6- यदि कोई कर्मचारी किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने से पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस कर्मचारी को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नियमित पदोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित कर्मचारी को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नही लिया जायेगा तथापि ऐसे कर्मचारी को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को सम्मलित नहीं किया जायेगा।

7- ऐसे कर्मचारी जो उच्च पदों पर कार्यरत है और उन्हे निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु सम्बन्धित सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

8- प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत कार्मिक को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अर्न्तगत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए0सी0पी0 के अर्न्तगत देय वेतन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन/ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

9- ए0सी0पी0 की उपुर्यक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये वित्तीय स्तरोन्नयन से सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

10- ऐसे पदधारक जिन्हें 01-01-1986 से लागू वेतनमानों में समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य हो चुका था और उन्हें दिनांक 01-01-1986 से लागू वेतनमानों में उक्त प्रोन्नति वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान भी अनुमन्य हो चुका है, उन्हें ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त हो चुका मानते हुए केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होगा।

11- वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक-1 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा,परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन में उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और सम्बन्धित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

12- (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु अयोध्या शोध संस्थान , अयोध्या फैजाबाद में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियो को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी-ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नही होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्क्रीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यत: दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियॉ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में संबंधित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7-759 /दस-2018 दिनांक 20 अगस्त , 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 113 /2018/ 2060 (1)/चार-2018 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण अनुभाग-7)
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 (02 प्रतियों में)
(6) वित्त नियंत्रक , संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान , अयोध्या फैजाबाद
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

शासनादेश संख्या- 113 /2060 /चार-2018 दिनांक 20 सितम्बर2018 का संलग्नक

पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया ।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर संबंधित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 में 4 के मूल नियम 22 बी (1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। संबंधित सरकारी कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम-23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नांनुसार किया जायेगा:-

(1) यदि संबंधित कार्मिक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को संबंधित सेवक को दो वेतन वृद्धियॉ एक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप देय होंगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरूप यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन रू0 100.00 था, तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना रू0 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना रू0 103.00 पर की जायेगी।

(2) यदि संबंधित कार्मिक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नांनुसार निर्धारित किया जायेगा:-

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन देय होगा। जहॉ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहॉ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापित वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहॉ वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड के न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जायेगा।

नोट:- यदि सम्बन्धित सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी, तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। **उदाहरण-**किसी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। **उदाहरण-** किसी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in